5

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–47/2007 (खण्ड–1) /कृ0, पटना, दिनांक ......................., 2014.

प्रेषक,

**धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०**
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**मेसर्स एरिज एग्रो लि०,**
105, ए० आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना–800001

कृ० प्र०, पटना, आवक सं. 1560, दिनांक 10.11.14

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 178–179 दिनांक 23.07.2008 का द्वितीय प्रति निर्गत करने एवं नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके द्वारा सूचित किया गया है कि कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 178–179 दिनांक 23.07.2008 भूल गया है, जिसकी वैद्यता 31.12.2013 तक थी। आपसे प्राप्त आवेदन, शपथ पत्र एवं कोषागार चालान कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10 (6) के आलोक में उक्त अनुज्ञप्ति का द्वितीय प्रति निर्गत किया जाता है ।

आपसे प्राप्त नवीकरण आवेदन, कोषागार चलान, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य संगत कागजातों पर सम्यक विचारोपरांत कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित दो कीटनाशियों का उनके विर्निमाण अंनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता के आलोक में विषयांकित अनुज्ञप्ति का 31.12.2014 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

| क्र० | कीटनाशी का नाम |
|---|---|
| 1 | Steptomycin Sulphate + Tetra Cycline Hydrociride (9:1) |
| 2 | Alpha Napthyl Acetic Acid 4.5% w/w |

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स एरिज एग्रो लि०, H/O श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं श्री हरि नारायण प्रसाद, उषा वेल्ड्स, न्यू बाईपास, थाना–अगमकुँआ, पटना।

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4– अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6– अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7– नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8– भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या–178–179 दिनांक 23.07.2008 का द्वितीय प्रति संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
**(धर्मेन्द्र सिंह)**
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4764 /कृ0, पटना, दिनांक 05.11.2014

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/11/14

**कृषि निदेशक, बिहार, पटना।**